ए.

जोनल मैनेजर, बैंक ऑफ इंडिया, जोनल ऑफिस, कोच्चि और ओआरएस।

वी.

आर्या के. बाबू और ए. एन. आर. (2019 की सिविल अपील संख्या 6206) अगस्त 08,2019

बी.

[आर**.** भानुमति और ए**.** एस**.** बोपन्ना**,** जे**.** जे**.]**

सेवा कानून-भर्ती-भर्ती के लिए अधिसूचना के बाद योग्यता/मानदंड में परिवर्तन-प्रतिवादी संख्या 2-आईबीपीएस ने कृषि क्षेत्र अधिकारी (पैमाना-1) के पद के लिए अधिसूचना जारी की-अधिसूचना में आवश्यकता 'कृषि-वानिकी' में डिग्री रखने वाले स्नातकों की थी-चयन की प्रक्रिया शुरू की गई थी और निजी प्रत्यर्थीगणओं का अस्थायी रूप से चयन किया गया था-हालांकि, उनके दस्तावेजों के सत्यापन के बाद, उनका चयन इस आधार पर रद्द कर दिया गया था कि निजी प्रत्यर्थीगणओं के पास अधिसूचना में निर्धारित योग्यता नहीं थी-क्योंकि निजी प्रत्यर्थीगणओं के पास 'वानिकी' में डिग्री थी-रिट याचिकाएं-उच्च न्यायालय ने माना कि निजी प्रत्यर्थीगणओं की योग्यता उचित थी-इसके अलावा, कृषि और कृषि कल्याण मंत्रालय द्वारा त्रुटि पर ध्यान दिया गया कि कृषि-वानिकी में कोई 4-वर्षीय स्नातक कार्यक्रम उपलब्ध नहीं था।यदि अधिसूचना जारी होने के बाद योग्यता/मानदंड में कोई बदलाव होता है, लेकिन चयन प्रक्रिया के पूरा होने से पहले और नियोक्ता/भर्ती एजेंसी परिवर्तन को अपनाना चाहती है, तो नियोक्ता पर यह दायित्व होगा कि वह अधिसूचना में परिवर्तनों को शामिल करते हुए एक शुद्धिपत्र जारी करे और बदले गए मानदंडों के अनुसार योग्य लोगों से आवेदन आमंत्रित करे और प्रारंभिक अधिसूचना के जवाब में प्राप्त आवेदनों के साथ-साथ इस पर विचार करे-तत्काल मामले में, निजी प्रत्यर्थीगणओं को क्रमशः 17.09.2015 और 29.05.2015 पर नियुक्ति पत्र जारी किए गए थे, इसके बाद सामान्य शुद्धिपत्र दिनांक 16.01.2016 द्वारा B. SC की योग्यता को शामिल करके परिवर्तन किया गया था। (वानिकी), जो

सी.

डी.

ई.

एफ.

जी.

एच.

627 ए.

628 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2019] 11 एस. सी. आर.

उस योग्यता रखने वाले सभी लोगों को अवसर प्रदान करके उस दिन से प्रभावी होगा-इसलिए, ऐसे मामले में योग्यता में परिवर्तन जिससे निजी प्रत्यर्थीगणओं की योग्यता बाद में शामिल हो जाती है, केवल उनके लाभ के लिए सुनिश्चित नहीं हो सकता है जब कई अन्य जो आवेदन कर सकते थे उन्हें ऐसा करने से रोका गया था-उक्त परिस्थिति में, उच्च न्यायालय के आदेशों को दरकिनार कर दिया गया।सेवा कानून-भर्ती-योग्यता की समानता प्रदान करने में न्यायालय की शक्ति-आयोजितःशैक्षणिक योग्यताओं की समानता के संबंध में प्रश्न प्रासंगिक शैक्षणिक मानकों के उचित मूल्यांकन और मूल्यांकन और ऐसी योग्यताओं की व्यावहारिक प्राप्ति पर आधारित एक तकनीकी प्रश्न है और जहां सरकार का निर्णय एक विशेषज्ञ निकाय की सिफारिश पर आधारित है, जिसके पास इस तरह के कार्य को पर्याप्त रूप से करने के लिए आवश्यक ज्ञान, कौशल और विशेषज्ञता है, न्यायालय, प्रासंगिक डेटा से अनजान है और समानता निर्धारित करने के उद्देश्य से आवश्यक तकनीकी अंतर्दृष्टि से सहायता प्राप्त नहीं है, सरकार के निर्णय को हल्के में बाधित नहीं करेगा।

बी.

सी.

डी.

अपीलों को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने

पकड़नाः**1.** यदि मामले में उच्चतम न्यायालय का निर्णय

मोहम्मद का।सोहराब खान बनाम अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय और अन्य को रखा गया है

परिप्रेक्ष्य में यह स्पष्ट है कि नियोक्ता की कार्रवाई की शुद्धता की जांच करते समय अधिसूचना में प्रकाशित योग्यता मानदंड क्या पवित्र होगा, क्योंकि यदि योग्यता मानदंडों में किए गए किसी भी बदलाव को अदालत द्वारा स्वीकार किया जाता है ताकि केवल याचिकाकर्ताओं को लाभान्वित किया जा सके, इसे सभी योग्य व्यक्तियों के लिए खुला किए बिना, यह उन अन्य लोगों के साथ अन्याय करने के बराबर होगा जिनके पास ऐसी योग्यता है, लेकिन उन्होंने खुद के लिए ईमानदार होने का आवेदन नहीं किया था क्योंकि जानबूझकर उनके पास अधिसूचना में मांगी गई योग्यता नहीं थी, हालांकि उनके पास अन्यथा दूसरी डिग्री थी।इसलिए, यदि अधिसूचना जारी होने के बाद योग्यता/मानदंड में कोई बदलाव होता है, लेकिन चयन प्रक्रिया के पूरा होने से पहले और नियोक्ता/भर्ती एजेंसी परिवर्तन को अपनाना चाहती है, तो नियोक्ता पर यह दायित्व होगा कि वह अधिसूचना में बदलावों को

शामिल करते हुए एक शुद्धिपत्र जारी करे और बदले गए मानदंडों के अनुसार योग्य लोगों से आवेदन आमंत्रित करे और प्रारंभिक ए के जवाब में प्राप्त आवेदनों के साथ इस पर विचार करे।

ई.

एफ.

जी.

एच.

629

जोनल मैनेजर, बैंक ऑफ इंडिया, जोनल ऑफिस, कोच्चि बनाम आर्या के. बाबू ए.

अधिसूचना।न्यायालय द्वारा विचार किए जाने पर यही सिद्धांत सही रहेगा।**[**पैरा **14] [637-**सी**-**एफ**]**

2. यदि उस पृष्ठभूमि में तत्काल तथ्यों पर ध्यान दिया जाता है**,** तो यह पता चलेगा कि अधिसूचना बी**.** एस**.** सी**.** में डिग्री के रूप में आवश्यक योग्यता को दर्शाती है। **(**कृषि**-**वानिकी**) 17.11.2014** पर जारी किया गया था और चयन की प्रक्रिया तब समाप्त हो गई थी जब इसमें निजी प्रत्यर्थीगणओं को क्रमशः **17.09.2015** और **29.05.2015** दिनांकित नियुक्ति पत्र जारी किए गए थे।मान लीजिए कि उस तारीख को अधिसूचना में बी**.** एस**.** सी**.** रखने वाले उम्मीदवारों की आवश्यकता थी। **(**कृषि**-**वानिकी**)** लेकिन निजी प्रत्यर्थीगण बी**.** एससी**.** में स्नातक थे। **(**वानिकी**)** और इस तरह जवाब देने के लिए योग्य नहीं थे।इसके बाद बी**.** एस**.** सी**.** की योग्यता को शामिल करते हुए दिनांकित सामान्य शुद्धिपत्र **16.01.2016** द्वारा परिवर्तन किया गया। **(**वानिकी**),** जो उस योग्यता रखने वाले सभी लोगों को अवसर प्रदान करके उस दिन से प्रभावी होगा।इसलिए**,** ऐसे मामलों में योग्यता में परिवर्तन जिसके तहत निजी प्रत्यर्थीगणओं की योग्यता को बाद में शामिल किया जाता है**,** केवल उनके लाभ के लिए सुनिश्चित नहीं हो सकता है**,** जबकि कई अन्य जो आवेदन कर सकते थे**,** उन्हें ऐसा करने से रोका गया था।**[**पैरा **15] [637-**जी**-**एच**; 638-**ए**-**बी**]**

बी.

सी.

डी.

3. इसके अलावा यह न्यायालय के लिए नहीं है कि वह शैक्षिक योग्यता से संबंधित समानता प्रदान करे क्योंकि उक्त मुद्दे को इस न्यायालय की संविधान पीठ द्वारा मोहम्मद के मामले में अपीलार्थीगण द्वारा दिए गए निर्णय में सुलझा लिया गया है।

ई.

शुजात अली और ओआरएस बनामभारत संघ और अन्य**,** जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया है कि

शैक्षणिक योग्यताओं की समानता के संबंध में प्रश्न प्रासंगिक शैक्षणिक मानकों के उचित मूल्यांकन और मूल्यांकन और ऐसी योग्यताओं की व्यावहारिक प्राप्ति पर आधारित एक तकनीकी प्रश्न है और जहां सरकार का निर्णय एक विशेषज्ञ निकाय की सिफारिश पर आधारित है**,** जिसके पास इस तरह के कार्य को पर्याप्त रूप से करने के लिए आवश्यक ज्ञान**,** कौशल और विशेषज्ञता है**,** न्यायालय**,** प्रासंगिक डेटा से अनजान है और समानता निर्धारित करने के उद्देश्य से आवश्यक तकनीकी अंतर्दृष्टि से सहायता प्राप्त नहीं है**,** सरकार के निर्णय को हल्के में बाधित नहीं करेगा।**[**पैरा **16] [638-**बी-डी**]**

एफ.

जी.

4. उस पृष्ठभूमि में**,** हालांकि वर्तमान में तत्काल तथ्यों में निजी प्रत्यर्थीगणओं के पास योग्यता तय की जाती है

एच.

कृषि क्षेत्र अधिकारी के पद पर भर्ती के उद्देश्य से भर्ती अधिसूचना की तारीख तक इसे शामिल नहीं किया गया था**,** जिसे ऊपर बताए गए कारणों से न्यायालय द्वारा पूर्वव्यापी प्रभाव से प्रतिस्थापित नहीं किया जा सकता है।इसलिए**,** उक्त परिस्थिति में**,** वर्तमान तथ्यों में**,** उच्च न्यायालय अपने निष्कर्ष में उचित नहीं था।**[**पैरा **17] [638-**ई-एफ**]**

बी.

मोहम्मद शुजात अली और ओआरएस बनामभारत संघ और अन्य।

(1975) 3 एससीसी **76:[1975] 1** एस**.** सी**.** आर**. 449-**अनुसरण किया गया।

मोहम्मद.सोहराब खान बनाम अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय और

ओआरएस। (2009) 4 एससीसी 555:[2009] 2 एस. सी. आर. 907-पर निर्भर।

सी.

किशोर देवरामजी गहाने बनाम बैंकिंग कार्मिक चयन संस्थान और अन्य।(फैसला दिनांकित

09.02.2016 बॉम्बे में उच्च न्यायालय**,** नागपुर में नागपुर पीठ द्वारा डब्ल्यू**.** पी**. (**सी**)** **No.4823/2015** में पारित किया गया**-**संदर्भित।

डी.

मामला कानून संदर्भ

[2009] 2 एससीआर **907**

उस पर भरोसा करें

पैरा **14**

[1975] 1 एससीआर **449**

पीछा किया।

पैरा **16**

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णय:2019 की सिविल अपील संख्या 6206

ई.

2016 के डब्ल्यू. ए. सं. 313 में एर्नाकुलम में केरल उच्च न्यायालय के दिनांक 24.05.2016 के निर्णय और आदेश से।

के साथ

2019 की सिविल अपील संख्या 6207।

एफ.

ए. बी. डायल, सीनियर एड., राजेश कुमार-I, अनंत गौतम, सुश्री साक्षी गौर, सुश्री खुशबू अग्रवाल, सोरभ दहिया, विभु शर्मा, अनमोल मेहता (मेसर्स मित्तर एंड मित्तर कंपनी के लिए), राजीव नंदा, सुश्री अनन्या दत्ता मजूमदार, कलीस्वरम राज, सुश्री रोम्शा राज, निशे राजन शोंकर, सुविदत्त एम. एस., जगत अरोड़ा, रजत अरोड़ा, सुश्री रितु अरोड़ा, अनुव्रत शर्मा, एड.उपस्थित दलों के लिए।

जी.

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

ए. एस. बोपन्ना, जे. 1.अनुमति दी गई

2. एस. एल. पी. (सी) No.16567/2016 से उत्पन्न दीवानी अपील में अपीलार्थी-बैंक ऑफ इंडिया इस न्यायालय के समक्ष ए.

एच.

631

जोनल मैनेजर, बैंक ऑफ इंडिया, जोनल ऑफिस, कोच्चि बनाम आर्या के. बाबू [ए. एस. बोपन्ना, जे.] ए.

24.05.2016 W.A.No.313/2016 में पारित किया गया।एर्नाकुलम में केरल उच्च न्यायालय के समक्ष उक्त अपील डब्ल्यू. पी. (सी) No.39083/2015 में पारित आदेश के खिलाफ दायर की गई थी, जिसमें उस उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश ने दिनांक 20.01.2016 के आदेश द्वारा रिट याचिका को मंजूरी दी थी।एस. एल. पी. (सी) No.24764/2016 से उत्पन्न अपील में अपीलार्थी-सिंडिकेट बैंक लिमिटेड रिट अपील No.404/2016 में पारित दिनांक 24.05.2016 के आदेश पर कार्रवाई कर रहा है, जिसके तहत केरल उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने डब्ल्यू. पी. (सी) No.17403/2015 दिनांक 20.12.2016 में विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश को बरकरार रखा था।

बी.

3. हालांकि इन दोनों अपीलों में पक्षकार अलग-अलग हैं, इन दोनों अपीलों में विचार के लिए उत्पन्न होने वाले प्रश्न को ध्यान में रखते हुए समान है और चूंकि उच्च न्यायालय ने सामान्य आदेश के माध्यम से अपीलों का निपटारा किया है, इसलिए इन दोनों अपीलों को लिया जाता है, एक साथ सुना जाता है और इस सामान्य आदेश द्वारा निपटाया जाता है।तथ्यों के वर्णन के उद्देश्य से, एसएलपी (सी) No.16567/2016 में अनुरोध किए गए मामले पर ध्यान दिया जाता है।बैंकिंग क्षेत्र में की जाने वाली भर्ती के संबंध में प्रत्यर्थी संख्या 2, भारतीय बैंकिंग कार्मिक चयन संस्थान (संक्षेप में "आईबीपीएस") उस संबंध में उचित अधिसूचना जारी करके भर्ती की प्रक्रिया शुरू करता है।

सी.

डी.

4. तत्काल तथ्य स्थिति में, अधिसूचना दिनांक 17.11.2014 जारी की गई थी जिसमें इच्छुक उम्मीदवारों से विभिन्न पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए थे जिन्हें उसमें विज्ञापित किया गया था।यहाँ विचार कृषि क्षेत्र अधिकारी (स्केल -1).इन दोनों अपीलों में निजी प्रत्यर्थीगण उक्त पद के लिए आवेदक हैं।चयन की प्रक्रिया शुरू की गई थी और इन दोनों अपीलों में निजी प्रत्यर्थीगणओं का अस्थायी रूप से चयन किया गया था, जो उनके दस्तावेजों

के सत्यापन के अधीन था और तदनुसार आईबीपीएस द्वारा संबंधित अपीलकर्ता बैंकों को आवंटित किया गया था।हालाँकि, दोनों निजी प्रत्यर्थीगणओं का चयन इस आधार पर रद्द कर दिया गया था कि यहाँ निजी प्रत्यर्थीगणओं के पास नियुक्ति के लिए अधिसूचना में निर्धारित योग्यता नहीं थी।यह उस संबंध में है कि इस तरह की कार्रवाई से व्यथित होने का दावा करने वाले निजी प्रत्यर्थीगण केरल उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश के समक्ष संबंधित रिट याचिकाओं में समाप्ति आदेशों को लागू कर रहे थे, जैसा कि ऊपर ध्यान दिया गया है।

ई.

एफ.

जी.

5. विद्वान एकल न्यायाधीश ने इस बात पर ध्यान दिया कि हालांकि अधिसूचना में आवश्यकता "कृषि-वानिकी" में डिग्री रखने वाले स्नातकों की थी, इस बात को ध्यान में रखते हुए कि इसमें निजी प्रत्यर्थीगणओं ने "वानिकी" में 4 साल की डिग्री हासिल की थी और वही अभिनिर्धारित किया था

एच.

पर्याप्त होना।इस संबंध में विद्वान एकल न्यायाधीश ने ध्यान दिया था कि इस देश में "कृषि-वानिकी" के लिए कोई 4-वर्षीय डिग्री कार्यक्रम पेश नहीं किया जा रहा है और उस पृष्ठभूमि में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ("आई. सी. ए. आर".) द्वारा दी गई जानकारी का उल्लेख करते हुए, जिस पर यहां निजी प्रत्यर्थीगणओं द्वारा भरोसा किया गया था, इस बात को ध्यान में रखा गया था कि उक्त संस्थान के अनुसार, कृषि की परिभाषा में "वानिकी" शामिल है।उस पृष्ठभूमि में इसे एक उपयुक्त योग्यता पाते हुए इसमें निजी प्रत्यर्थीगणओं के मामले पर अनुकूल रूप से विचार किया गया था।इसके अलावा इस बात पर भी ध्यान दिया गया कि कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के साथ-साथ वित्त मंत्रालय ने भी बाद में इस त्रुटि पर ध्यान दिया कि देश में "कृषि-वानिकी" में कोई 4-वर्षीय पाठ्यक्रम नहीं है और "कृषि-वानिकी" को आई. सी. ए. आर. द्वारा अनुमोदित "वानिकी" में बी. एससी. पाठ्यक्रम में व्यापक रूप से शामिल किया गया है और इसे बैंकों में कृषि क्षेत्र अधिकारी के पद के लिए योग्यता माना जा सकता है।उस पृष्ठभूमि में, मामले के इन सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए नियुक्ति के प्रस्ताव को वापस लेने के लिए निजी प्रत्यर्थीगणओं को जारी किए गए समाप्ति

आदेशों को दरकिनार कर दिया गया और अपीलार्थीगण को निजी प्रत्यर्थीगणओं को सेवा में वापस लेने का निर्देश दिया गया।

बी.

सी.

डी.

6. विद्वत एकल के उक्त निर्णय से व्यथित होने का दावा करने वाले अपीलार्थीगण ऊपर उल्लिखित अपीलों में खंड पीठ के समक्ष थे।डिवीजन बेंच ने भी इन पहलुओं पर ध्यान दिया था और इस संबंध में विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा किए गए विचार को बरकरार रखा गया था।रिट अपील की कार्यवाही के दौरान इसमें अपीलार्थीगण ने डब्ल्यू. पी. (सी) नागपुर में बॉम्बे, नागपुर पीठ में उच्च न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 1 के फैसले पर भरोसा किया था, जिसका शीर्षक किशोर था।

ई.

देवरामजी गहने बनाम। बैंकिंग कार्मिक चयन संस्थान

एफ.

& अन्य।उक्त निर्णय का हवाला दिया गया था क्योंकि "कृषि-वानिकी" में बी. एससी. की योग्यता से संबंधित मुद्दा विचार के लिए उठा था और उस पृष्ठभूमि में यह भी ध्यान दिया गया था कि एक शुद्धिपत्र दिनांक 16.01.2016 जारी किया गया था जिसके तहत 4 वर्षीय बी. एससी. वानिकी, कृषि जैव प्रौद्योगिकी, खाद्य विज्ञान और कृषि व्यवसाय प्रबंधन में डिग्री को भी कृषि क्षेत्र अधिकारी (स्केल-1) के पद पर नियुक्ति के लिए मान्यता प्राप्त शैक्षिक योग्यता के रूप में शामिल किया गया था।उस परिस्थिति में, उस मामले में यह देखा गया कि विज्ञापन वर्ष 2015 का था जबकि शुद्धिपत्र 16.01.2016 पर जारी किया गया था और उस दृष्टिकोण से नागपुर पीठ की खंड पीठ ए

जी.

एच.

633

जोनल मैनेजर, बैंक ऑफ इंडिया, जोनल ऑफिस, कोच्चि बनाम आर्या के. बाबू [ए. एस. बोपन्ना, जे.] ए.

उसमें याचिकाकर्ता को यह कहते हुए राहत देने से इनकार कर दिया था कि अधिसूचना में दर्शाई गई योग्यता प्रासंगिक होगी।हालाँकि, वर्तमान मामले में केरल उच्च न्यायालय की खंड

पीठ ने उक्त दृष्टिकोण से सम्मानपूर्वक असहमति जताई थी और विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश को बरकरार रखने के लिए आगे बढ़ी थी और इसमें अपीलार्थीगण द्वारा दायर अपील को खारिज कर दिया था।इसी संदर्भ में अपीलार्थीगण इस न्यायालय के समक्ष हैं।

बी.

प्रत्यर्थीगण 7 प्रत्यर्थीगण.प्रत्यर्थीगण
प्रत्यर्थीगणउप्रत्यर्थीगणपप्रत्यर्थीगणरप्रत्यर्थीगणोप्रत्यर्थीगणकप्रत्यर्थीगण्प्रत्यर्थीगणतप्रत्यर्थीगण
प्रत्यर्थीगणपप्रत्यर्थीगणृप्रत्यर्थीगणषप्रत्यर्थीगण्प्रत्यर्थीगणठप्रत्यर्थीगणभप्रत्यर्थीगणूप्रत्यर्थीगणमप्र
त्यर्थीगणिप्रत्यर्थीगण प्रत्यर्थीगणमप्रत्यर्थीगणेप्रत्यर्थीगणंप्रत्यर्थीगण
प्रत्यर्थीगणह्प्रत्यर्थीगणमप्रत्यर्थीगणनप्रत्यर्थीगणेप्रत्यर्थीगण
प्रत्यर्थीगणशप्रत्यर्थीगण्प्रत्यर्थीगणरप्रत्यर्थीगणीप्रत्यर्थीगण प्रत्यर्थीगणए्प्रत्यर्थीगण.प्रत्यर्थीगण
प्रत्यर्थीगणबप्रत्यर्थीगणीप्रत्यर्थीगण.प्रत्यर्थीगण
प्रत्यर्थीगणडप्रत्यर्थीगणाप्रत्यर्थीगणयप्रत्यर्थीगणलप्रत्यर्थीगण,प्रत्यर्थीगण
प्रत्यर्थीगणएप्रत्यर्थीगणसप्रत्यर्थीगणएप्रत्यर्थीगणलप्रत्यर्थीगणपप्रत्यर्थीगणीप्रत्यर्थीगण
प्रत्यर्थीगण(प्रत्यर्थीगणसप्रत्यर्थीगणीप्रत्यर्थीगण)प्रत्यर्थीगण
प्रत्यर्थीगण N प्रत्यर्थीगण o प्रत्यर्थीगण.प्रत्यर्थीगण 2 प्रत्यर्थीगण 4 प्रत्यर्थीगण 7 प्रत्यर्थीगण 6 प्र
त्यर्थीगण 4 प्रत्यर्थीगण/प्रत्यर्थीगण 2 प्रत्यर्थीगण 0 प्रत्यर्थीगण 1 प्रत्यर्थीगण 6 प्रत्यर्थीगण
प्रत्यर्थीगणसप्रत्यर्थीगणेप्रत्यर्थीगण
प्रत्यर्थीगणउप्रत्यर्थीगणतप्रत्यर्थीगण्प्रत्यर्थीगणपप्रत्यर्थीगणनप्रत्यर्थीगण्प्रत्यर्थीगणनप्रत्यर्थीगण
प्रत्यर्थीगणअप्रत्यर्थीगणपप्रत्यर्थीगणीप्रत्यर्थीगणलप्रत्यर्थीगण
प्रत्यर्थीगणमप्रत्यर्थीगणेप्रत्यर्थीगणंप्रत्यर्थीगण
प्रत्यर्थीगणवप्रत्यर्थीगणिप्रत्यर्थीगणदप्रत्यर्थीगण्प्रत्यर्थीगणवप्रत्यर्थीगणाप्रत्यर्थीगणनप्रत्यर्थीगण
प्रत्यर्थीगणवप्रत्यर्थीगणरप्रत्यर्थीगणिप्रत्यर्थीगणषप्रत्यर्थीगण्प्रत्यर्थीगणठप्रत्यर्थीगण
अधिवक्ताप्रत्यर्थीगण,प्रत्यर्थीगण प्रत्यर्थीगणशप्रत्यर्थीगण्प्रत्यर्थीगणरप्रत्यर्थीगणीप्रत्यर्थीगण
प्रत्यर्थीगणरप्रत्यर्थीगणाप्रत्यर्थीगणजप्रत्यर्थीगणेप्रत्यर्थीगणशप्रत्यर्थीगण
प्रत्यर्थीगणकप्रत्यर्थीगणुप्रत्यर्थीगणमप्रत्यर्थीगणाप्रत्यर्थीगणरप्रत्यर्थीगण,प्रत्यर्थीगण
प्रत्यर्थीगणएप्रत्यर्थीगणसप्रत्यर्थीगणएप्रत्यर्थीगणलप्रत्यर्थीगणपप्रत्यर्थीगणीप्रत्यर्थीगण®प्रत्यर्थी
गण
प्रत्यर्थीगण N प्रत्यर्थीगण o प्रत्यर्थीगण.प्रत्यर्थीगण 1 प्रत्यर्थीगण 6 प्रत्यर्थीगण 5 प्रत्यर्थीगण 6 प्र
त्यर्थीगण 7 प्रत्यर्थीगण/प्रत्यर्थीगण 2 प्रत्यर्थीगण 0 प्रत्यर्थीगण 1 प्रत्यर्थीगण 6 प्रत्यर्थीगण
प्रत्यर्थीगणसप्रत्यर्थीगणेप्रत्यर्थीगण
प्रत्यर्थीगणउप्रत्यर्थीगणतप्रत्यर्थीगण्प्रत्यर्थीगणपप्रत्यर्थीगणनप्रत्यर्थीगण्प्रत्यर्थीगणनप्रत्यर्थीगण
प्रत्यर्थीगणअप्रत्यर्थीगणपप्रत्यर्थीगणीप्रत्यर्थीगणलप्रत्यर्थीगण
प्रत्यर्थीगणमप्रत्यर्थीगणेप्रत्यर्थीगणंप्रत्यर्थीगण
प्रत्यर्थीगणउप्रत्यर्थीगणपप्रत्यर्थीगणसप्रत्यर्थीगण्प्रत्यर्थीगणथप्रत्यर्थीगणिप्रत्यर्थीगणतप्रत्यर्थीगण
विद्वान अधिवक्ता प्रत्यर्थीगण प्रत्यर्थीगणकप्रत्यर्थीगणेप्रत्यर्थीगण
प्रत्यर्थीगणसप्रत्यर्थीगणाप्रत्यर्थीगणथप्रत्यर्थीगण-प्रत्यर्थीगणसप्रत्यर्थीगणाप्रत्यर्थीगणथप्रत्यर्थीगण

प्रत्यर्थीगणशप्रत्यर्थीगण्प्रत्यर्थीगणरप्रत्यर्थीगणीप्रत्यर्थीगण
प्रत्यर्थीगणकप्रत्यर्थीगणलप्रत्यर्थीगणीप्रत्यर्थीगणशप्रत्यर्थीगण्प्रत्यर्थीगणवप्रत्यर्थीगणरप्रत्यर्थीगण
मप्रत्यर्थीगण प्रत्यर्थीगणरप्रत्यर्थीगणाप्रत्यर्थीगणजप्रत्यर्थीगण
प्रत्यर्थीगणऔप्रत्यर्थीगणरप्रत्यर्थीगण प्रत्यर्थीगणशप्रत्यर्थीगण्प्रत्यर्थीगणरप्रत्यर्थीगणीप्रत्यर्थीगण
प्रत्यर्थीगणजप्रत्यर्थीगणगप्रत्यर्थीगणतप्रत्यर्थीगण
प्रत्यर्थीगणअप्रत्यर्थीगणरप्रत्यर्थीगणोप्रत्यर्थीगणडप्रत्यर्थीगण़प्रत्यर्थीगणाप्रत्यर्थीगण
प्रत्यर्थीगणकप्रत्यर्थीगणोप्रत्यर्थीगण प्रत्यर्थीगणभप्रत्यर्थीगणीप्रत्यर्थीगण
प्रत्यर्थीगणसप्रत्यर्थीगणुप्रत्यर्थीगणनप्रत्यर्थीगणाप्रत्यर्थीगण प्रत्यर्थीगणहप्रत्यर्थीगणैप्रत्यर्थीगण।
प्रत्यर्थीगणहमने उच्च न्यायालय द्वारा पारित विवादित फैसलों सहित अपील पत्रों का भी अध्ययन किया है।

सी.

8. यद्यपि व्यापक तर्क दिए गए थे, यह मुद्दा एक बहुत ही संकीर्ण दिशा में निहित है।विचार के लिए संक्षिप्त प्रश्न यह है कि क्या अदालतें किसी अन्य योग्यता के लिए समतुल्यता प्रदान करने का अभ्यास करना उचित ठहराएंगी ताकि इसे भर्ती अधिसूचना में निर्धारित योग्यता के बराबर घोषित किया जा सके, हालांकि योग्यता की ऐसी समतुल्यता भर्ती करने वाले नियोक्ता द्वारा घोषित नहीं की जाती है।दूसरा पहलू यह होगा कि क्या भर्ती अधिसूचना जारी होने के बाद पात्र बनाई गई किसी विशेष शैक्षणिक योग्यता पर भर्ती प्रक्रिया के संबंध में पूर्वव्यापी रूप से विचार किया जा सकता है जो ऐसी अतिरिक्त शैक्षिक योग्यता से पहले शुरू हो चुकी है जिसे योग्य माना जाता है और ऐसी अधिसूचना के संबंध में भर्ती की प्रक्रिया पहले ही समाप्त हो चुकी है।उस पृष्ठभूमि में तत्काल मामले में इन पहलुओं की जांच आवश्यक है।

डी.

ई.

एफ.

9. कृषि क्षेत्र अधिकारी (स्केल-1) के पद के लिए निर्धारित योग्यता जो अधिसूचना दिनांक 17.11.2014 के तहत जारी की गई है, जो यहाँ विषय वस्तु है, नीचे दी गई हैः

“4 कृषि/बागवानी/पशुपालन/पशु चिकित्सा विज्ञान/डेयरी विज्ञान/कृषि इंजीनियरिंग/मत्स्य विज्ञान/मत्स्य पालन/कृषि विपणन और सहयोग/संचालन और बैंकिंग/कृषि-वानिकी में वर्ष की डिग्री (स्नातक)।”

जी.

(बल दिया गया)

एच.

10. इसमें निजी प्रत्यर्थीओं ने उक्त अधिसूचना के जवाब में 24.11.2014 पर आवेदन किया था और इसके बावजूद कि एसएलपी (सी) No.16567/2016 से उत्पन्न अपील में निजी प्रत्यर्थी के पास बी. एससी की योग्यता थी। (वानिकी) ने आवेदन में कृषि-वानिकी के रूप में योग्यता का संकेत दिया था।जो भी हो, चयन की प्रक्रिया शुरू की गई थी और दोनों अपीलों में निजी प्रत्यर्थीगणओं को क्रमशः 17.09.2015 और 29.05.2015 पर नियुक्ति पत्र जारी किया गया था।नियुक्ति पत्र में, यह विशेष रूप से उल्लेख किया गया था कि नियुक्ति मूल दस्तावेजों को प्रस्तुत करने के अधीन है जिसमें योग्यता के संबंध में प्रमाण शामिल है।यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि योग्यता के संबंध में प्रमाण योग्यता को संदर्भित करता है जैसा कि अधिसूचना दिनांक 17.11.2014 में दर्शाया गया है।हालाँकि, चूंकि बाद में यह देखा गया कि उनके पास बी. एस. सी. (कृषि-वानिकी) की डिग्री नहीं थी, इसलिए उन्हें 03.11.2015 दिनांकित कारण बताएँ नोटिस जारी किया गया और उन्हें 10.12.2015 दिनांकित आदेश के माध्यम से समाप्त कर दिया गया।एक समान पाठ्यक्रम अब तक अन्य निजी प्रत्यर्थी के रूप में भी अपनाया गया था।इसमें कोई संदेह नहीं है कि कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग (नीति प्रभाग) द्वारा एक कार्यालय ज्ञापन जारी किया गया था, जिसमें यह ध्यान में रखा गया था कि देश में कृषि-वानिकी में कोई 4-वर्षीय स्नातक कार्यक्रम उपलब्ध नहीं है और चूंकि कृषि-वानिकी को बी. एससी. (वानिकी) के लिए आई. सी. ए. आर. द्वारा अनुमोदित पाठ्यक्रम में एक विषय के रूप में व्यापक रूप से शामिल किया गया है, इसलिए यह सुझाव दिया गया था कि बी. एससी. करना उचित होगा। (वानिकी) स्नातक को बैंकों में कृषि क्षेत्र अधिकारी के पद के लिए माना जाना चाहिए।तदनुसार, आई. बी. पी. एस. द्वारा 16.01.2016 दिनांकित एक शुद्धिपत्र जारी किया गया था। यह विवाद में नहीं है कि इस तरह के निर्णय के आधार पर, बाद में की गई भर्ती के लिए, बी. एससी. (वानिकी) को कृषि क्षेत्र अधिकारी (स्केल-I) की भर्ती के लिए योग्यता के रूप में शामिल किया गया था।

बी.

सी.

डी.

ई.

एफ.

11. हालाँकि, मुद्दा यह है कि जब संबंधित भर्ती अधिसूचना में उक्त योग्यता का वर्णन नहीं किया गया था जो विषय वस्तु है और उस परिस्थिति में यदि उन व्यक्तियों की भर्ती गलत तरीके से की गई है जिनके पास वह योग्यता नहीं थी जो अधिसूचित की गई थी लेकिन फिर भी आवेदन किया गया था और उस आधार पर की गई नियुक्ति बनी हुई है, तो क्या यह अन्य व्यक्तियों के लिए नुकसानदायक नहीं होगा जिनके पास बी. एससी की समान योग्यता थी। (वानिकी) डिग्री लेकिन आवेदन नहीं किया था क्योंकि अधिसूचना में उक्त योग्यता का वर्णन नहीं किया गया था, लेकिन कुछ अन्य योग्यता का संकेत दिया गया था।इस संबंध में, शुरुआत में यह ध्यान रखना आवश्यक है कि बॉम्बे में उच्च न्यायालय का निर्णय, ए

जी.

एच.

635

जोनल मैनेजर, बैंक ऑफ इंडिया, जोनल ऑफिस, कोच्चि बनाम आर्या के. बाबू [ए. एस. बोपन्ना, जे.] ए.

किशोर देवरामजी गहाने (उपर्युक्त) के मामले में नागपुर पीठ ने वास्तव में उच्च न्यायालय के समक्ष अपीलार्थीगण द्वारा भरोसा किए जाने पर इस मुद्दे को संबोधित किया था जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया था कि विज्ञापन के बाद जारी किया गया शुद्धिपत्र फायदेमंद नहीं होगा, क्योंकि उसमें याचिकाकर्ता के पास भर्ती अधिसूचना में अधिसूचित योग्यता नहीं थी।

12. निजी प्रत्यर्थीगणओं के विद्वान अधिवक्ता ने हालांकि तर्क दिया कि उच्च न्यायालय ने इस बात पर ध्यान दिया कि बी. एस. सी. में डिग्री के लिए पाठ्यक्रम उचित था। (कृषि-वानिकी) देश में प्रदान नहीं किया जा रहा था और ऐसी स्थिति में बी. एस. सी. (कृषि-वानिकी) में 4 साल की डिग्री रखने वाले उम्मीदवारों के लिए अधिसूचना ही गलत थी और इस तरह बी. एस. सी. में डिग्री। (वानिकी) पर विचार किया जाना चाहिए।विद्वान अधिवक्ता भारतीय बैंक (अधिकारी) सेवा विनियम, 1979 पर भरोसा करना चाहते हैं ताकि यह तर्क दिया जा सके कि इसके खंड-16.9 में "विशेष अधिकारियों" को एक संदर्भ दिया गया है जिसमें यह संकेत दिया गया है कि इसमें श्रेणी में से एक "कृषि अधिकारी" है, जिसके तहत इंगित योग्यता कृषि और/या संबद्ध विषयों में डिग्री है और इस तरह से भर्ती/पदोन्नत/परिवर्तित की गई है।इस दृष्टिकोण से विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि आई. सी. ए. आर. द्वारा दिनांक 01.04.2015 द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार "कृषि" की परिभाषा में "वानिकी" शामिल होगी और ऐसी स्थिति में इसका अर्थ यह लगाया जाना चाहिए कि भले ही अधिसूचना में बी. एस. सी. में डिग्री रखने वाले उम्मीदवारों की मांग की गई हो। (कृषि-वानिकी) इसमें बी. एससी. शामिल होगा। (वानिकी) जो कृषि का एक संबद्ध विषय है।

बी.

सी.

डी.

ई.

13. हालाँकि हमने उक्त तर्क पर ध्यान दिया है, हम इसे स्वीकार करने में असमर्थ हैं।सुसाबित स्थिति को ध्यान में रखते हुए हमारी ऐसी राय है कि इसे पढ़ना या मान लेना न्यायालय का काम नहीं है और इस प्रकार कुछ योग्यताएँ शामिल की गई हैं जिन्हें नियोक्ता द्वारा अधिसूचना में शामिल नहीं किया गया है।इसके अलावा प्रत्यर्थीगण के लिए विद्वान अधिवक्ता द्वारा निर्दिष्ट नियमों को अधिकारियों की पदोन्नति के लिए एक नियम बताया गया है।इसके अलावा, भले ही विज्ञापन में निर्धारित योग्यता भर्ती नियमों के तहत प्रदान की गई योग्यता के विपरीत हो, संबंधित उम्मीदवार के लिए अवसर से इनकार करने का आरोप लगाते हुए अधिसूचना को चुनौती देने के लिए खुला रहता।दूसरी ओर, अधिसूचना में निर्धारित विशिष्ट योग्यता को ध्यान में रखते हुए किसी उम्मीदवार के लिए यह मान लेना संभव नहीं होगा कि ऐसे उम्मीदवार के पास जो योग्यता है वह समकक्ष है और इस प्रकार नियुक्ति के लिए विचार करने की आवश्यकता होगी और न ही नियोक्ता के लिए चल रही चयन प्रक्रिया के दौरान आवश्यकताओं को बीच में ही बदलने या अधिसूचित योग्यता के अलावा किसी अन्य योग्यता को स्वीकार करने की अनुमति होगी।

एफ.

जी.

एच.

यह उन लोगों को अवसर से वंचित करने के बराबर होगा जिनके पास योग्यता है लेकिन उन्होंने आवेदन नहीं किया था क्योंकि इसे अधिसूचित नहीं किया गया था।

14. वास्तव में, इस दृष्टिकोण को इस न्यायालय के निर्णय से मजबूत किया गया है

मोहम्मद का मामला।सोहराब खान बनाम अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय और अन्य।

(2009) 4 एस. सी. सी. 555 पर अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने भरोसा किया।उक्त निर्णय में इसे निम्नानुसार माना गया हैः

बी.

24. हमारे अनुसार, चयन समिति के साथ-साथ विश्वविद्यालय ने भी मध्य धारा में नियम में बदलाव किया जिसकी अनुमति नहीं थी।विश्वविद्यालय हमेशा एक व्यक्ति को किसी विशेष विषय में व्याख्याता के रूप में रख सकता है जो वह चाहता है, लेकिन इसे विज्ञापन में ही विशेष रूप से कहा जाना चाहिए, ताकि कोई भ्रम न हो और सभी व्यक्ति जो इच्छुक उम्मीदवार हो सकते हैं, उन्हें पता होना चाहिए कि वह कौन सा विषय है जिसे व्यक्ति को पढ़ाना आवश्यक है और उक्त पद को भरने के लिए आवेदन करने के लिए व्यक्ति के पास कौन सी आवश्यक योग्यता होनी चाहिए।

सी.

डी.

25. हम इस तथ्य पर विवाद नहीं कर रहे हैं कि उम्मीदवारों के चयन के मामले में, चयन समिति की राय अंतिम होनी चाहिए, लेकिन साथ ही, चयन समिति मनमाने ढंग से कार्य नहीं कर सकती है और अपनी मध्यधारा के दौरान चयन प्रक्रिया में मानदंड/योग्यता को बदल नहीं सकती है।मेराजुद्दीन अहमद के पास शुद्ध रसायन विज्ञान में डिग्री नहीं थी और इसलिए, उच्च न्यायालय द्वारा यह उचित माना गया कि उनके पास रसायन विज्ञान में व्याख्याता के पद को भरने के लिए आवश्यक न्यूनतम योग्यता नहीं थी, क्योंकि शुद्ध रसायन विज्ञान और औद्योगिक रसायन विज्ञान दो अलग-अलग विषय हैं।

ई.

एफ.

26. रसायन विज्ञान में व्याख्याता के पद को भरने के लिए जारी किया गया विज्ञापन औद्योगिक रसायन विज्ञान के विषय से संबंधित व्यक्ति द्वारा नहीं भरा जा सकता था, जबकि विज्ञापन में विशेष रूप से इसका उल्लेख नहीं किया गया था कि उक्त विषय में स्नातकोत्तर डिग्री धारक भी विचार के लिए उपयुक्त होगा।इच्छुक उम्मीदवार हो सकते थे जिन्होंने उक्त विज्ञापित पद के खिलाफ उम्मीदवार बनने के लिए आवेदन किया होता, अगर उन्हें पता होता और विज्ञापन के माध्यम से सूचित किया जाता कि औद्योगिक रसायन विज्ञान भी उक्त पद को भरने के लिए योग्यताओं में से एक है।

जी.

एच.

637

जोनल मैनेजर, बैंक ऑफ इंडिया, जोनल ऑफिस, कोच्चि बनाम आर्या के. बाबू [ए. एस. बोपन्ना, जे.] ए.

ए.

27. चयन समिति चयन के चरण के दौरान, जो बीच में है, विज्ञापन में निर्धारित आवश्यक योग्यता को नहीं बदल सकती थी और उस स्तर पर यह माना गया था कि औद्योगिक रसायन विज्ञान में मास्टर डिग्री धारक उक्त पद को संभालने के लिए बिना किसी विशिष्ट विज्ञापन के बेहतर होगा।यह तथ्य कि विश्वविद्यालय अब शुद्ध रसायन विज्ञान के विषय से एक व्यक्ति के साथ उक्त पद का संचालन कर रहा है, इस निष्कर्ष पर भी पहुँचता है कि उस स्तर पर जब इसका विज्ञापन किया गया था, तो उक्त पद शुद्ध रसायन विज्ञान धारा से संबंधित व्यक्ति द्वारा भरा जाना था।

बी.

सी.

यदि उपरोक्त निर्णय को परिप्रेक्ष्य में रखा जाता है तो यह स्पष्ट है कि नियोक्ता की कार्रवाई की शुद्धता की जांच करते समय अधिसूचना में प्रकाशित योग्यता मानदंड क्या होगा, क्योंकि यदि योग्यता मानदंडों में किए गए किसी भी बदलाव को अदालत द्वारा स्वीकार किया जाता है ताकि सभी योग्य व्यक्तियों के लिए इसे खुला रखे बिना केवल याचिकाकर्ताओं को लाभान्वित किया जा सके, तो यह उन अन्य लोगों के साथ अन्याय करने के बराबर होगा जिनके पास ऐसी योग्यता है, लेकिन उन्होंने खुद के लिए ईमानदारी से आवेदन नहीं किया था क्योंकि जानबूझकर उनके पास अधिसूचना में मांगी गई योग्यता नहीं थी, हालांकि उनके पास दूसरी डिग्री थी।इसलिए, यदि अधिसूचना जारी होने के बाद योग्यता/मानदंड में कोई बदलाव होता है, लेकिन चयन प्रक्रिया के पूरा होने से पहले और नियोक्ता/भर्ती एजेंसी परिवर्तन को अपनाना चाहती है, तो नियोक्ता पर यह दायित्व होगा कि वह अधिसूचना में परिवर्तनों को शामिल करते हुए एक शुद्धिपत्र जारी करे और बदले गए मानदंडों के अनुसार योग्य लोगों से आवेदन आमंत्रित करे और प्रारंभिक अधिसूचना के जवाब में प्राप्त आवेदनों के साथ इस पर विचार करे।जब न्यायालय द्वारा विचार किया जाएगा तो यही सिद्धांत अच्छा रहेगा।15. यदि उस पृष्ठभूमि में तत्काल तथ्यों पर ध्यान दिया जाता है, तो यह पता चलेगा कि अधिसूचना बी. एस. सी. में डिग्री के रूप में आवश्यक योग्यता को दर्शाती है। (कृषि-वानिकी) 17.11.2014 पर जारी किया गया था और चयन की प्रक्रिया तब समाप्त हो गई थी जब इसमें निजी प्रत्यर्थीगणओं को क्रमशः 17.09.2015 और 29.05.2015 दिनांकित नियुक्ति पत्र जारी किए गए थे।मान लीजिए कि उस तारीख को अधिसूचना में बी. एस. सी. रखने वाले उम्मीदवारों की आवश्यकता थी। (कृषि-वानिकी) लेकिन निजी प्रत्यर्थीगण बी. एससी. में स्नातक थे। (वानिकी) और इस तरह जवाब देने के लिए योग्य नहीं थे।इसके बाद बी. एस. सी. की योग्यता को शामिल करते हुए सामान्य शुद्धिपत्र दिनांक 16.01.2016 द्वारा परिवर्तन किया गया।

डी.

ई.

एफ.

जी.

एच.

638

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2019] 11 एस सी आर।

(वानिकी), जो उस योग्यता रखने वाले सभी लोगों को अवसर प्रदान करके उस दिन से प्रभावी होगा।इसलिए, ऐसे मामलों में योग्यता में परिवर्तन जिसके तहत निजी प्रत्यर्थीगणओं की योग्यता को बाद में शामिल किया जाता है, केवल उनके लाभ के लिए सुनिश्चित नहीं हो सकता है, जबकि कई अन्य जो आवेदन कर सकते थे, उन्हें ऐसा करने से रोका गया था।

बी.

16. इसके अलावा यह न्यायालय के लिए नहीं है कि वह शैक्षिक योग्यताओं से संबंधित समानता प्रदान करे क्योंकि उक्त मुद्दे का निपटारा इस न्यायालय की संविधान पीठ ने मोहम्मद शुजात के मामले में अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा किए गए निर्णय में किया है।

अली और ओआरएस बनामभारत संघ और अन्य, (1975) 3 एस. सी. सी. 76 जिसमें यह है -

सी.

यह अभिनिर्धारित किया गया कि शैक्षिक योग्यताओं की समानता के संबंध में प्रश्न प्रासंगिक शैक्षणिक मानकों के उचित मूल्यांकन और मूल्यांकन और ऐसी योग्यताओं की व्यावहारिक प्राप्ति पर आधारित एक तकनीकी प्रश्न है और जहां सरकार का निर्णय एक विशेषज्ञ निकाय की सिफारिश पर आधारित है, जिसके पास इस तरह के कार्य को पर्याप्त रूप से करने के लिए आवश्यक ज्ञान, कौशल और विशेषज्ञता है, न्यायालय, प्रासंगिक डेटा से अनजान और समानता निर्धारित करने के उद्देश्य से आवश्यक तकनीकी अंतर्दृष्टि की सहायता के बिना, सरकार के निर्णय को हल्के में बाधित नहीं करेगा।

डी.

17. उस पृष्ठभूमि में, हालांकि वर्तमान में तत्काल तथ्यों में निजी प्रत्यर्थीगणओं के पास कृषि क्षेत्र अधिकारी के पद पर भर्ती के उद्देश्य से योग्यता को शामिल करने का निर्णय लिया गया है, क्योंकि भर्ती अधिसूचना की तारीख को इसे इसमें शामिल नहीं किया गया था, जिसे ऊपर बताए गए कारणों से न्यायालय द्वारा पूर्वव्यापी प्रभाव से प्रतिस्थापित नहीं किया जा सकता है।इसलिए, उक्त परिस्थिति में, वर्तमान तथ्यों में, उच्च न्यायालय अपने निष्कर्ष में उचित नहीं

था।हालाँकि, हम यह स्पष्ट करते हैं कि हालाँकि हमने कानूनी स्थिति का उल्लेख किया है और इसे हमारे सामने आने वाले पक्षों के मामले में भी लागू किया है, यदि इसी तरह की भर्ती के मामले में, नियोक्ताओं ने स्वयं समानता की अनुमति दी है और भर्ती किए गए अधिकारियों को जारी रखा है, तो यह निर्णय इस दूर के समय में ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू करने के लिए लागू नहीं किया जाएगा।उपरोक्त के अधीन, केरल उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश जो यहाँ विवादित हैं, उन्हें दरकिनार कर दिया जाता है।

ई.

एफ.

जी.

18. उपरोक्त निष्कर्ष पर पहुंचने के बाद हम एसएलपी® No.16567/2016 अर्थात् श्रीमती से उत्पन्न अपील में निजी प्रत्यर्थी के लिए विद्वान अधिवक्ता के प्रस्तुत करने पर भी ध्यान देते हैं। आर्या के.

एच.

639

जोनल मैनेजर, बैंक ऑफ इंडिया, जोनल ऑफिस, कोच्चि बनाम आर्या के. बाबू [ए. एस. बोपन्ना, जे.]

ए.

बाबूथा को सेवा से छुट्टी मिलने के बाद बहुत कठिन परिस्थितियों में रखा जाता है, जो उनके निजी जीवन में कुछ कमी के कारण भी है।यद्यपि हम वर्णित वास्तविक तथ्य स्थिति को स्पष्ट नहीं करना चाहते हैं, लेकिन हमारे पास इस पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है, इसलिए, हम यह उचित पाते हैं कि उनके मामले में न्याय के उद्देश्यों को पूरा करने और किसी भी पक्ष को पूर्वाग्रहित किए बिना पूर्ण न्याय करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपने विवेक का प्रयोग करना आवश्यक है।इस दृष्टिकोण से, हम अपीलकर्ता बैंक ऑफ इंडिया को श्रीमती को नियुक्ति प्रदान करने का निर्देश देते हैं। आर्य के. बाबू कृषि क्षेत्र अधिकारी के रूप में या इस तरह के अन्य समकक्ष पद के रूप में यदि आज के रूप में रिक्ति मौजूद है या भविष्य में होने वाली रिक्ति में है।इस संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि इसे नियुक्ति की तारीख से नए सिरे से नियुक्ति माना जाएगा और उसके द्वारा किसी भी पूर्व लाभ का दावा नहीं किया जा सकता है।इसके अलावा, यह स्पष्ट किया जाता है कि यह निर्देश इस मामले के विशिष्ट तथ्यों और परिस्थितियों में जारी किया गया है और इसे किसी अन्य मामले के लिए एक मिसाल के रूप में नहीं माना जाएगा।

बी.

सी.

19. उपरोक्त टिप्पणियों के अधीन, दोनों अपीलों को लागत के रूप में बिना किसी आदेश के अनुमति दी जाती है।सभी लंबित आवेदनों का निपटारा कर दिया गया है।

डी.

अंकित ज्ञान

अपीलों की अनुमति दी गई।

ई.

एफ.

जी.

एच.